प्रेस नोट
दिनांक - 26.11.2025
जनपद - गोण्डा

यातायात माह-2025 के अवसर पर मूक-बधिर व्यक्तियों से संवाद स्थापित करने हेतु सांकेतिक भाषा एवं सड़क सुरक्षा जागरुकता कार्यशाला का सफल आयोजन-

सांकेतिक भाषा की कार्यशाला के सकुशल संपन्न होने पर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा जनपदीय मूक एवं बधिर कल्याण संघ (DDDWA) पदाधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया-

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक, गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में "यातायात माह-2025" के अंतर्गत जनपद गोण्डा में सड़क सुरक्षा के प्रति जन-जागरुकता बढ़ाने तथा दिव्यांगजनों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के उद्देश्य से एक विशेष प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत जनपदीय मूक एवं बधिर कल्याण संघ (DDDWA) के पदाधिकारियों 1.वसीम खान- अध्यक्ष, 2.अल्तमश रैनी- कोषाध्यक्ष, 3.राहुल देव त्रिपाठी- महासचिव व 4.सद्दाम खान- सदस्य द्वारा पूर्ण मनोयोग, निष्ठा एवं अथक परिश्रम के साथ मूक एवं बधिर चालकों/नागरिकों के लिए 'कान के प्रतीक चिन्ह योजना' से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसके साथ-साथ जनपद गोण्डा पुलिस कर्मियों हेतु सांकेतिक भाषा (Sign Language) की कार्यशाला आयोजित की गई, जिससे पुलिस कर्मियों को मूक-बधिर व्यक्तियों से संवाद स्थापित करने में व्यावहारिक दक्षता प्राप्त हुई। कार्यशाला के दौरान सड़क सुरक्षा, यातायात नियमों की जानकारी, दिव्यांगजनों के अधिकार, आपात परिस्थितियों में संवाद की प्रक्रिया तथा मानवीय दृष्टिकोण से पुलिसिंग के विषयों पर विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया । इस प्रशिक्षण से पुलिस कर्मियों की सांकेतिक भाषा की समझ में वृद्धि हुई, जिससे भविष्य में मूक-बधिर नागरिकों के साथ व्यवहार और संवाद अधिक प्रभावी एवं संवेदनशील हो सकेगा । पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा जनपदीय मूक एवं बधिर कल्याण संघ (DDDWA) के पदाधिकारियों के इस सराहनीय योगदान की अत्यंत प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया गया। साथ ही उनके सहयोग हेतु आभार व्यक्त किया गया तथा भविष्य में भी इसी प्रकार जनहित एवं सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यक्रमों में सहयोग की अपेक्षा व्यक्त की गई।

जनपद गोण्डा पुलिस द्वारा यह पहल सड़क सुरक्षा के साथ-साथ समावेशी एवं संवेदनशील पुलिसिंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो समाज के प्रत्येक वर्ग के साथ विश्वास और सहयोग को और अधिक सुदृढ़ करेगी।

मीडिया सेल, गोण्डा

प्रेस नोट
दिनांक 26.12.2025

थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा गैर-इरादतन हत्या करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त डण्डा व पाइप बरामद-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-280/25 धारा 115(2), 352, 351(3), 105, 109 बीएनएस से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त दशरथ लाल मिश्रा पुत्र रामसहाय मिश्रा नि0 ग्राम बलहीजोत थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को ग्राम बलहीजोत में सागौन के बगीचे के पास से गिरफ्तार कर निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद बांस का डण्डा व 01 अदद लोहे का पाइप बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 15.11.2025 को वादिनी श्री चन्द्र प्रकाश पाण्डेय पुत्र भिभूति प्रसाद नि0 ग्राम बलहीजोत थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा द्वारा थाना खरगूपुर पर लिखित तहरीर दी गई कि दिनांक 15.11.2025 को 08.00 बजे दिन में विपक्षीगण द्वारा जमीनी विवाद को लेकर वादी व उनके घरवालों को लाठी-डण्डा से मारने पीटने लगे । मारपीट में वादी की पत्नी को गंभीर चोटें आईं जिनकी अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खरगूपुर में नामजद अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया । अभियोग की विवेचना व साक्ष्य-संकलन के दौरान आज दिनांक 26.12.25 को थाना खरगूपुर पुलिस टीम द्वारा आरोपी अभियुक्त - दशरथ लाल मिश्रा पुत्र रामसहाय मिश्रा नि0 ग्राम बलहीजोत थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को ग्राम बलहीजोत में सागौन के बगीचे के पास से गिरफ्तार कर निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद बांस का डण्डा व 01 अदद लोहे का पाइप बरामद किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. दशरथ लाल मिश्रा पुत्र रामसहाय मिश्रा नि0 ग्राम बलहीजोत थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 280/25 धारा 115(2), 352, 351(3), 105, 109 बीएनएस थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा ।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 पंकज कुमार मय हमराही
02. उ0नि0 डोरीलाल गंगवार
03. हे0कां0 राहुल मिश्रा
04. हे0कां0 उत्तम कुमार
05. कां0 अंकित गुप्ता

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 26.12.2025

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी करने के जालसाज/वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाहीः-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 535/2024 धारा- 420/406/467/468/471 भादवि से सम्बन्धित जालसाज/वारण्टी अभियुक्त मुकेश कुमार सिंह निवासी ग्राम बेलहरी थाना मोतिगरपुर जनपद सुल्तानपुर को उसके घर ग्राम बेलहरी (जनपद सुल्तानपुर) से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 19.07.2024 को वादी अजय कुमार पुत्र अयोध्या प्रसाद निवासी ग्राम रानी पुरवा (नयी कालोनी) जानकी नगर, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि विपक्षी मुकेश कुमार सिंह पुत्र प्रताप नारायण सिंह उर्फ राम प्रताप सिंह जो कि मेडिकल कॉलेज गोण्डा में इण्टरलकिंग का कार्य करते हैं के द्वारा मेडिकल कॉलेज गोण्डा में कम्प्यूटर आपरेटर की नौकरी दिलाने का झांसा देकर वादी से रु0 2,87,000/- (दो लाख सत्तासी हजार रुपये) की ठगी की गयी है। वादी की तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में नामजद अभियुक्तगण के विरुद्ध सम्बन्धित धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। उक्त अभियुक्त गिरफ्तारी से बचने हेतु फरार चल रहा था। जिसकी तलाश में थाना को0 नगर के उ0नि0 अंकित सिंह मय हमराह द्वारा मैनुअल एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त मुकेश कुमार सिंह पुत्र प्रताप नारायण सिंह उर्फ राम प्रताप सिंह निवासी मकान नंबर 147/1 तुलसीराम का हटा गंदा नाला सिविल लाइन सुल्तानपुर थाना को0 नगर जनपद सुल्तानपुर स्थाई पता ग्राम बेलहरी थाना कोतवाली मोतिगरपुर जनपद सुल्तानपुर को उसके घर ग्राम बेलहरी (जनपद सुल्तानपुर) से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. मुकेश कुमार सिंह पुत्र प्रताप नारायण सिंह उर्फ राम प्रताप सिंह उम्र 43 वर्ष निवासी मकान नंबर 147/1 तुलसीराम का हटा गंदा नाला सिविल लाइन सुल्तानपुर थाना कोतवाली नगर जनपद सुल्तानपुर स्थाई पता ग्राम बेलहरी थाना कोतवाली मोतिगरपुर जनपद सुल्तानपुर।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 535/2024 धारा- 420/406/467/468/471 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 अंकित सिंह चौकी प्रभारी मिश्रौलिया थाना को0 नगर
02. कां0 अमित तोमर थाना को0 नगर।

मीडिया सेल, गोण्डा।